YM/SPC/PMPSU/10/2010

Frequently Ask Questions (FAQ's)on Decentralized Planning Process in Madhya Pradesh

Developed by: Poverty Monitoring and Policy Support Unit MP (PMPSU-MP), State Planning Commission Govt. of MP

The objective of FAQ is to give details about Decentralized Planning Process to PRIs members, Technical Support Group, and Volunteer Organizations who are playing critical role in Community centric planning.

10/25/2010

मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकृत जिला योजना प्रणाली पर आधारित प्रश्नोत्तरी

- विकेन्द्रीकृत नियोजन से क्या आशय है?

उ. विकेन्द्रिकृत नियोजन से आशय स्थानीय निकायों और जिला योजना समिति के माध्यम से एक ऐसी योजना का निर्माण करना है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। इनके अर्न्तगत योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा स्तर एवं शहरी क्षेत्रों मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर तैयार की जाती है। इन योजना में कार्य का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाता है एवं ऊपर के स्तरों अर्थात ग्राम पंयायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाता है ऊपरी स्तर के निकाय अपने स्तर से संचालित होने वाले कार्यक्रमों को समायोजित कर सकेंगे।

- जनकेन्द्रित नियोजन प्रणाली एवं विकेन्द्रीकृत प्रणाली में क्या फर्क है?

उ. नहीं, दोनां व्यवस्थाओं में केन्द्र बिन्दु में जन अर्थात आम जन समुदाय है।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन के क्या फायदे हैं?

उ. विकेन्द्रीकृत नियोजन विभिन्न जिलो की विशिष्ट परिस्थितियों, विशेषतया महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को नियोजन प्रक्रिया से जोड़नें में सहयोगी होगा साथ ही समाज का समस्त समावेशो एवं त्वरित विकास हेतु मौल का पत्थर साबित होगा।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन कैसे संभव है?

उ. विकेन्द्रीकृत नियोजन में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से तथा नगरीय निकायों में वार्ड/मोहल्ला स्तर से योजना निर्माण करते हुए जिला योजना तैयार की जानी है। विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रियाओं को निचले स्तर से ऊपर तक ले जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संरचनात्मक व्यवस्था दी गयी है।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन को कियान्वित करने के लिये राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था कैसी है?

उ. विकेन्द्रीकृत नियोजन के कियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग नोडल इकाई है। आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रकियाओं को प्रदेश में संचालित करने के लिये इसके अन्तर्गत कोर ग्रुप, तकनीकि प्रशिक्षण संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक व्यवस्था निम्नानुसार समझी जा सकती है :–

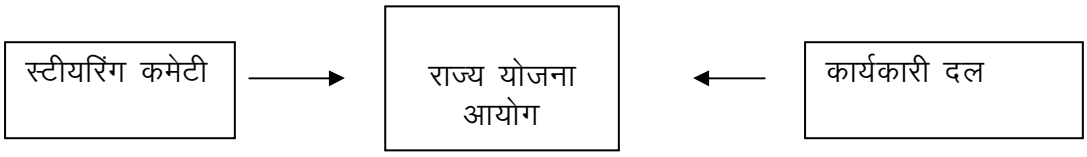

- विकेन्द्रीकृत नियोजन को कियान्वित करने के लिये जिला स्तर पर संस्थागत व्यवस्था कैसी है?

जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा गठित 6 उप समीतियां विभिन्न क्षेत्रकों का प्रतिनिधित्व करती है, तथा ग्राम जनपद एवं पंचाायत स्तर से एवं वार्ड, नगरीय निकायों एवं पालिका निगमों के प्राप्त योजनाओं को अंतिम रूप देने हेतु उत्तरदायी है।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन को कियान्वित करने में राज्य योजना आयोग की मुख्य भूमिका क्या है?

उ. राज्य योजना आयोग प्रदेश में योजना निर्माण के लिये शीर्ष संस्था है जिसका मुख्य कार्य सभी जिलों में जिला योजना समितियों द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रदेश के स्तर पर योजना आयोग विकेन्द्रीकृत नियोजन के विषय पर प्रशिक्षण के लिये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दल का चयन करेगा एवं इनकी सेवायें जिलों को सुनिश्चित करायेगा। साथ ही यह दल विभिन्न विषयों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिये राज्य स्तरीय क्षेत्रक विषय विशेषज्ञों की टीम बनायेगा तथा इनकी सेवायें जिले की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करायेगा।

- राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की संरचना कैसी है?

उ. राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा राज्य योजना आयोग के मंत्री तथा विभिन्न विभागों के मंत्री भी इस कमेटी में शामिल किये गये हैं।

- नियोजन इकाई का अर्थ क्या होता है?

उ. नियोजन ईकाई (Planning Unit) का अर्थ एक ऐसा निकाय है जिसे योजना निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पंचायते और नगर पालिकाएं सहज रूप में एक सुस्पष्ट, आत्मनिर्भर नियोजन ईकाई के रूप में पहचानी जा सकती हैं।

- जिला योजना निर्माण के लिये नियोजन ईकाईयों को कितने रूवरूप में देखा जा सकता है?

उ. समेकन समन्वित जिला योजना निर्माण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के सन्दर्भ में एक जिले में जिला योजना निर्माण के लिए नियोजन ईकाईयों को निम्न स्वरूपों में देखा जा सकता है।

(1) जिला पंचायत

(2) जनपद पंचायत

(3) ग्राम पंचायत

(4) ग्राम सभा

(5) नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका आदि)

(6) अन्य नियोजन ईकाईयां (कैसे वाड सभा, मोहल्ला समिति आदि)

- जिला योजना समिति की भूमिका क्या है?

उ. जिला योजना समिति की भूमिका मुख्यतः निम्नानुसार है :–

- जिला योजना निर्माण प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान करना तथा जिले की स्थानीय अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर समावेशित एवं सहभागी विजन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाना।
- स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य हितभागियों के साथ चर्चा कर जिले के विकास की प्राथमिकताओं को तय करना।
- समेकन के समय, स्थानीय निकाय एवं विकास से जुड़े विभागों की योजना की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करना कि यह योजनाएं जिले के विजन को सिद्ध करने में सहायक हो सके।
- जिला योजना के स्वीकृत होने के उपरांत स्थानीय निकाय, संबंधित विभाग और अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं एवं नियोजन इकाईयों के साथ योजना क्रियान्वयन हेतु समीक्षा करना।
- स्थानीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं क्रियान्वयन पर क्षमता विकास का प्रबन्ध करना।

- नियोजन दलों की भूमिका क्या है?

उ. जिला योजना निर्माण में नियोजन दल की भूमिका महत्वपूर्ण है । यह दल मुख्य रूप से योजना तैयार कर उसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जोड़ने का कार्य करेगा। यह दल एक सहजकर्ता की तरह विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर योजना तैयार करेगा। जिला योजना समिति का दायित्व होगा कि वह नियोजन दल का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास सुनिश्चित करे ताकि यह दल जानकारी एकत्रित कर सके, प्रपत्रों में जानकारी भर सके, उसका विश्लेषण, प्राथमिकता इत्यादि तय कर सके।

- ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी है ?

उ. ग्रामीण विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों की योजनाओं के समेकन से जिला पंचायत जिला योजना तैयार करती है जिसे जिला ग्रामीण विकेन्द्रीकृत योजना कहा जाता है।

जिला पंचायत के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास योजना बनाने में सहयोग करने के लिए सभी स्तर पर नियोजन एवं अनुश्रवण दलों की व्यवस्था रहेगी। जिसे नीचे चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है।

जिला एवं ग्रामीण नियोजन संरचनात्मक व्यवस्था

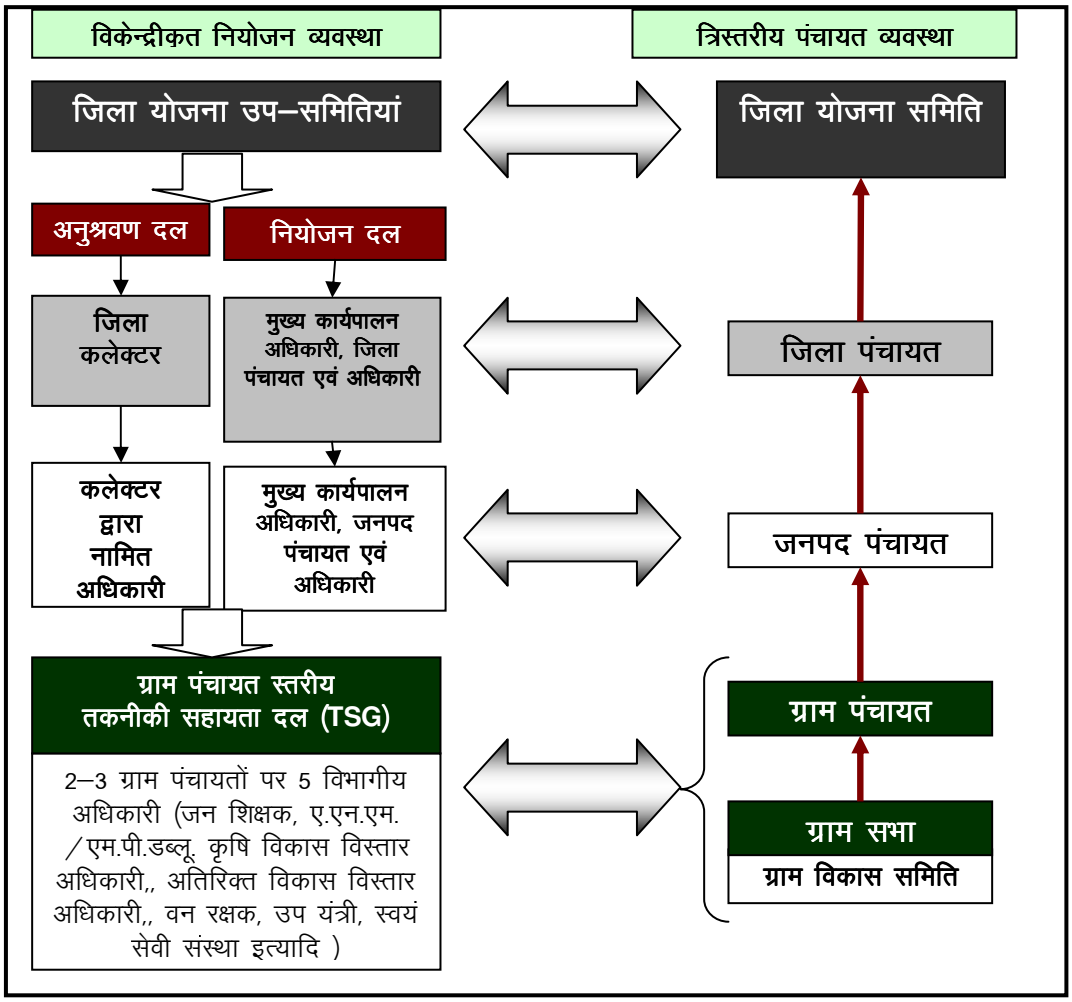

- शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी हे?

उ. नगरीय निकाय अपने आप में स्वशासन की एक स्वतंत्र इकाई है। विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी जो अपनी उप–समितियों के माध्यम से यह कार्य करेगी। प्रत्येक निगरीय निकाय अपने स्तर की योजना तैयार कर जिला योजना समिति की संबंधित उप–समितियों को सौपेंगे। और उप–समिति नगरीय क्षेत्र की योजना को अंतिम रूप देगी।

नगर पलिका एवं नगर पंचायतों में नगरीय नियोजन संरचना वार्ड स्तर तक रहेगी जबकि नगर निगम में नियोजन संरचना क्षेत्र सभा मोहल्ला समिति तक रहेगी। जिसे नीचे चित्र में दिखाया जा रहा है।

शहरी विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक व्यवस्था

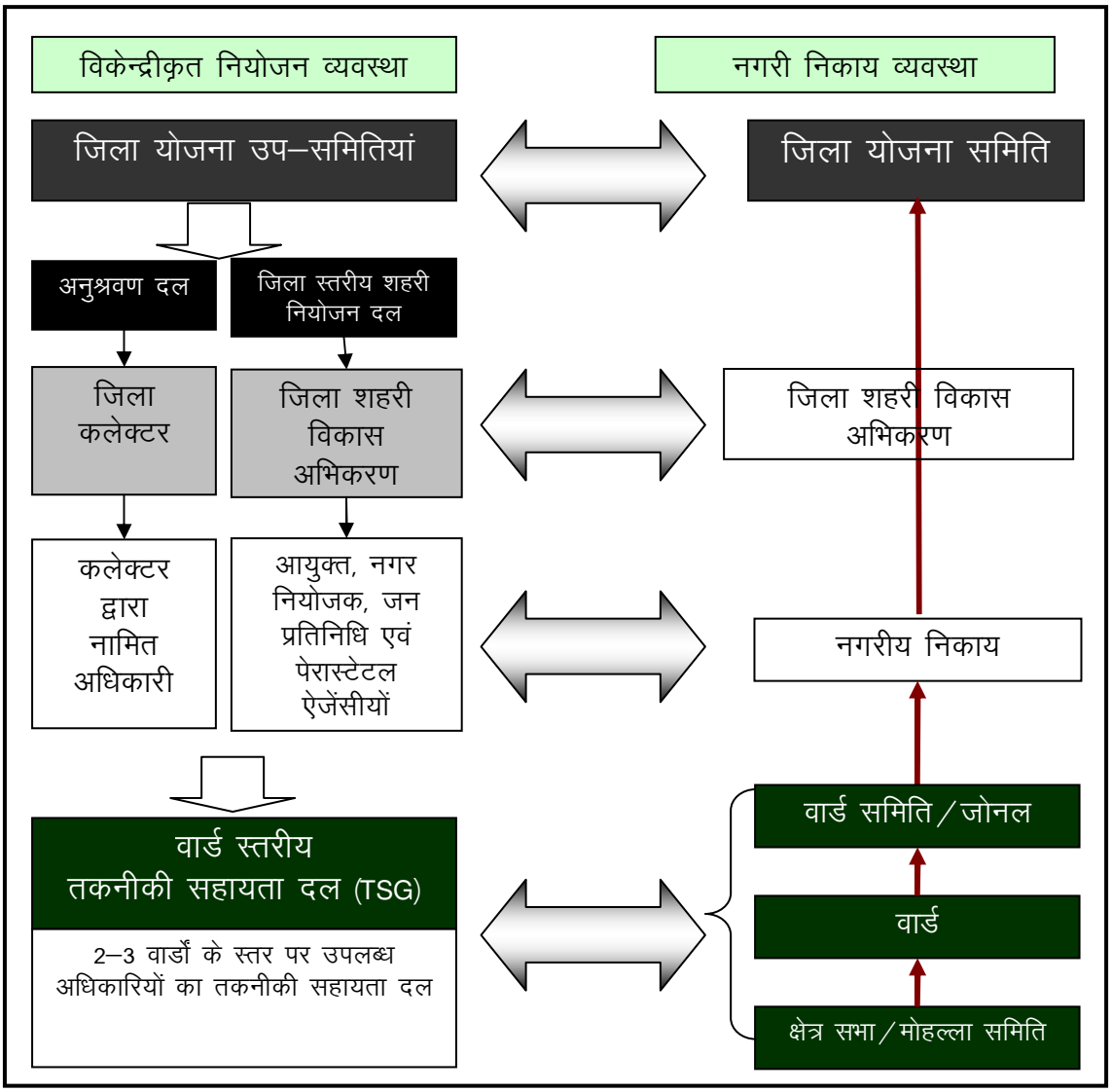

- जनपद स्तरीय नियोजन दलों की क्या भूमिका है?

उ. इस दल की मुख्य जिम्मेदारी जिले मे नियोजन के निचले स्तरों के आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं का जनपद स्तर पर समेकन करना तथा जनपद की योजना तैयार करना होगा। साथ ही दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों को भी योजना में शामिल करेगा। जैसे–दो या अधिक पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क हो सकती है या कुछ पंचायतों पर आजीविका या नवाचार संबंधित कोई केन्द्र इत्यादि गतिविधि हो सकती है।

- तकनीकी सहायता दल कौन है?

उ. तकनीकी सहायता दल में विभिन्न विभाग के जमीनी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्रिय स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। विभागों के जमीनी कार्यकर्ता की उपलब्धता को देखते

हुए इसका गठन किया जायेगा। प्रत्येक तकनीकी सहायता दल (TSG) में 05–06 या उससे अधिक सदस्य होंगे। जिसमें जमीनी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्रिय स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन के अनुभवी लोग होंगे।

इस दल के गठन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी, जो संबंधित विभागों जिला एवं जनपद स्तरीय नियोजन दल के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा इनका विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

- तकनीकी सहायता दल (TSG) के मुख्य कार्य क्या हैं?

उ. तकनीकी सहायता दल के मुख्य कार्य निम्नवत होंगे :–

<u>ग्रामीण स्तर पर :</u>

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल 2 से 3 पंचायतों (10 ग्राम में) में योजना निर्माण की प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार संख्या परिवर्तित भी हो सकती है।
- सौंपी गई ग्राम पंचायतों में आनेवाले सभी ग्रामों में नियोजन प्रक्रियाओ का संचालन एवं योजना निर्माण का कार्य करवाना।
- ग्राम विकास समिति/ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं योजना निर्माण पर उन्मुखीकरण तथा प्रक्रियाओं के संचालन में सहयोग देना।
- ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर ग्राम के उपेक्षित वर्गों की पहचान करना एवं उपेक्षित वर्गों के साथ बैठकर अलग–अलग क्षेत्रकों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करने में ग्राम विकास समिति का सहयोग करना।
- समस्याओं के प्राथमिकीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर आवश्यक विकल्पों की पहचान करने में ग्राम विकास समिति के लोगों की सहायता करना एवं कार्यों को उपयुक्त योजनाओं के साथ जोड़ना।
- योजना निर्माण में अधोसंरचना, तकनीकी एवं बजट आदि मुद्दों पर तकनीकी सहयोग के लिए जनपद एवं जिले से मदद लेना।

<u>शहरी स्तर पर :</u>

प्रत्येक नगरीय निकायों में वार्डों के स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल का गठन किया जायेगा। यह देखा गया है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र की समस्याओं में ठोस अवशिष्ट प्रबंध, नगरीय क्षेत्र में जल प्रबंध इत्यादि के विषयों पर गहराई से सोच समझ कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जिसमें अनुभव एवं तकनीकी सहयोग होने से नियोजन में सहजता रहती है। यह भी उतना ही सही है कि सभी वार्डों पर सभी विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सकते इसलिए नगरीय निकाय तकनीकी सहायता दल बनाते समय अन्य वार्डों के विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकते है। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार नगरीय विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए जिले के अन्य नगरीय निकायों से भी मदद ली जा सकती है या बाहर से विशेषज्ञों की सेवा को प्राप्त किया जा सकता है।

- ग्रामसभा स्तरीय नियोजन दल का क्या अर्थ है?

उ. ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की जिम्मेदारी ग्राम विकास समिति की होगी, क्योंकि ग्राम विकास समिति ग्राम सभा की स्थाई समिति है जिसे पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम में नियोजन करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम विकास समिति ही ग्राम नियोजन की प्रक्रियाओं को ग्राम स्तर पर TSG के सहयोग से संचालित करेगी। ग्राम सभा अपनी आवश्यकता के अनुसार नियोजन की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अस्थाई समिति का गठन भी कर सकती है। ऐसी अस्थाई समिति को ग्राम नियोजन समिति कहा जायेगा।

- ग्राम नियोजन समिति के गठन एवं सदस्यों के चयन भेजे किया जाना है ?

उ. इसका गठन, ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति का विस्तार कर किया जा सकता है। ग्राम विकास समिति के विस्तार की आवश्यकता नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीणों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। महिलाओं की भागिदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड से इस ग्राम नियोजन समिति मे कम से कम एक महिला को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। इसके लिए ग्राम में आनेवाले सभी वार्ड के पंचों के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड से जानकारों (पढ़े–लिखे/अनुभवी) की एक सूची तैयार की जाये और इस सूची के उपयोग से निम्नलिखित संरचना के आधार पर ग्राम नियोजन समिति के लिए पंचों के अतिरिक्त सदस्यों का चयन किया जायेगा।

- ग्राम नियोजन समिति में कम से कम 7 सदस्यों को रखा जायेगा। आशय यह है कि ग्राम में वार्डों की संख्या कम होने पर भी नियोजन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलाई जा सके।
- ग्राम नियोजन समिति में प्रत्येक वार्ड[1] से कम से कम दो सदस्यों का चयन किया जाना चाहिये। जिनमें से एक अनिवार्यतः महिला सदस्य होगी।
- प्रत्येक वार्ड स्तर का पहला सदस्य वार्ड से चुना हुआ पंचायत प्रतिनिधि (पंच) होगा/होगी।
- वार्ड के दूसरे सदस्य के रूप में पंच के बाद सर्वप्रथम स्थान वार्ड में रहने वाले ग्राम सभा के स्थाई समिति के सदस्य को दिया जाये। यदि वार्ड में स्थाई समिति का कोई सदस्य नहीं है तो जानकारों की सूची में से सदस्य का चयन किया जाये। जानकारों के रूप में ग्राम के स्व–सहायता समूह के सदस्य, पालक शिक्षा संघ, रोजगार गारंटी के मेट और अन्य सक्रिय संस्थाओं के प्रतिनिधि इत्यादि हो सकते है।
- यदि किसी वार्ड में एक से अधिक जानकार/सक्रिय सदस्य हो और वह नियोजन प्रक्रियाओं में भाग लेने को तैयार हो, तो ग्राम सभा चाहे तो उस वार्ड से दो से अधिक सदस्यों का चयन कर सकती है।
- नियोजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान दिया जाये की यदि किसी वार्ड में वार्ड पंच पुरूष है तो ग्राम नियेाजन समिति की दूसरी सदस्य महिला होगी और यदि वार्ड पंच महिला है तो ग्राम नियोजन समिति का दूसरा सदस्य पुरूष होगा। इस तरह करने से ग्राम नियोजन समिति में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत सुनिश्चित की जा सकेगी।
- ग्राम नियोजन समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे।

- ग्राम विकास समिति के मुख्य कार्य क्या हैं?

उ. ग्राम की नियोजन प्रक्रियाओं मे समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। समिति के सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल (Technical Support Group) की मदद से ग्राम के लोगों के साथ मिलकर योजना निर्माण की पूरी प्रक्रियाओं का संचालन करना होगा तथा ग्राम के विकास के लिए कार्ययोजना का तैयार कराना होगा।

- नियोजन के प्रत्येक चरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- ग्राम के विभिन्न उपेक्षित वर्गों के समूहों के साथ मिलकर समस्याओं की पहचान करना एवं उनकी प्राथमिकीकरण करने के लिए बैठकों का संचालन करना।
- ग्राम की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उपयुक्त विकल्पों की तलाश करना।
- वार्ड स्तर पर लोगों के साथ मिलकर योजना निर्माण पर चर्चा एवं उनके सुझावों को शामिल करना।
- ग्राम सभा की कार्य योजना तैयार करना।
- ग्राम सभा में कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण एवं सुझावों को शामिल कर ग्राम की योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना।

- ग्राम सभा अनुमोदन के बाद यदि भविष्य में नई समस्या या विकल्प सामने आते है तो उपयुक्त गतिविधि तय कर उसे ग्राम की योजना में जोड़ना।
- राज्य/जिला एवं जनपद द्वारा नियोजन प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य कर योजना निर्माण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना।
- शहरी नियोजन हेतु तकनीकी सहायता दल (TSG) का गठन कैसे किया जा सकता है?

उ. प्रत्येक नगरीय निकायों में वार्डों के स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल का गठन किया जायेगा। यह देखा गया है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र की समस्याओं में ठोस अवशिष्ट प्रबंध, नगरीय क्षेत्र में जल प्रबंध इत्यादि के विषयों पर गहराई से सोच समझ कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जिसमें अनुभव एवं तकनीकी सहयोग होने से नियोजन में सहजता रहती है। यह भी उतना ही सही है कि सभी वार्डों पर सभी विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो सकते इसलिए नगरीय निकाय तकनीकी सहायता दल बनाते समय अन्य वार्डों के विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को भी शामिल कर सकते है। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार नगरीय विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए जिले के अन्य नगरीय निकायों से भी मदद ली जा सकती है या बाहर से विशेषज्ञों की सेवा को प्राप्त किया जा सकता है।

- नगरीय क्षेत्रों नियोजन दल कैसा होगा इनके कितने सदस्य होंगे?

उ. प्रत्येक वार्ड स्तर पर नियोजन दल का गठन किया जायेगा, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे, जिसमें संबंधित वार्ड सदस्य, संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित वार्ड कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वैच्छिक समूह/संगठन के सदस्य इत्यादि को रखा जा सकता है। यह नियोजन दल अपने वार्ड में मार्गदर्शिका के अनुसार उपेक्षित वर्गों का चयन कर, उनसे चर्चा कर वार्ड की योजना तैयार करेगा।

- नगर निगम स्तरीय नियोजन दल कैसा होगा?

उ. नगर निगम नियोजन दल की भूमिका को अदा करने के लिए निगम के स्तर पर कम से कम 10 सदस्यों का एक दल रहेगा, जिसमें विभाग के अधिकारी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंध, नगरीय क्षेत्र में जल प्रबंध, नियोजन इत्यादि के विषय विशेषज्ञ या स्वयं सेवी संस्था इत्यादि को शामिल किया जायेगा। इस दल कार्य नियोजन प्रक्रिया का संचालन करना, निचले स्तरों के आवश्यक मार्गदर्शन प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना होगा। इस दल का मुख्य कार्य होगा कि वह नियोजन के लिए नगर निमग का ड्राफ्ट प्लान तैयार करेगा तथा वार्ड समिति/जोनल स्तरों की योजनाओं का समेकन कर नगर निमग की योजना तैयार करेगा। इस कार्य में यह दल नगर निगम अमले का सहयोग ले सकेगा। वार्ड स्तर के नियोजन दल के कुछ सदस्य इस दल में रह सकते है।

- क्या मोहल्ला समिति नियोजन दल का गठन हो सकता है?

उ. हॉ, यदि मोहल्ला समिति गठित हो तो वार्ड के अंतर्गत क्षेत्र सभा/मोहल्ला समिति के स्तरों पर गठित नियोजन दल नगर निगम की सबसे प्राथमिक नियोजन इकाई रहेगा, इसलिए विकेन्द्रीकृत नियोजन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस स्तर पर नियोजन दल में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए जो नागरीकों की सहायता से अपने क्षेत्र/मोहल्ला की योजना तैयार कर सके। इस नियोजन दल का मुख्य कार्य यह होगा कि वह अपने क्षेत्र/मोहल्ले के अधिकांश नागरिकों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। इस दल में संबंधित वार्ड सदस्य (पार्षद), संबंधित विभागों के वार्ड कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठन, युवा संगठन, वेल्फेयर सोसाईटी इत्यादि के लोगों को रखा जा सकता है।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु आवश्यक आंकड़े कहां से प्राप्त होंगे?

उ. विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु आवश्यक आंकड़े निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किये जा सकते हैं :–

क्या आंकड़े आवश्यक हैं	कहां उपलब्ध हैं
जनसंख्या, अधोसंरचना जैसे मुख्य मार्ग से जुड़ाव, ग्राम विद्युतिकरण, घरेलू नल कनेक्शन, घरेलू शौचालयों की उपलब्धता इत्यादि।	जनगणना रिपोर्ट (सेंन्सस) अथवा जिले में उपलब्ध विभागवार दस्तावेज
मानव विकास इंडेक्स, स्वास्थ्य इंडेक्स, शिक्षा स्तर, महिला विकास स्तर, शहरीकरण रेट।	मानव विकास प्रतिवेदन
शिशु एवं मातृ मृत्युदर, प्राथमिक स्वास्थ्य आंकड़े	नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे
जिले में आपदाओं का इतिहास जैसे बाढ़, सूखा, कोई महामारी	विभाग, जिला पंचायत, चुने हुये प्रतिनिधि, कलेक्ट्रेट, नगर पंचायत, नगर निगम
प्रत्येक विभाग के आय–व्यय, विशेष सफल प्रयास	प्रत्येक सम्बन्धित विभाग एवं नगरीय निकाय
सामान्य जन सुविधा (शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अधोसंरचना) कहां अव्यवस्थित है। जैसे पी.एच.सी, जिला अस्पताल, सिंचाई स्रोत इत्यादि।	जी.आई.एस मैप पर आधारभूत संरचना की स्थिति

- ग्रामस्तरीय योजना निर्माण के मुख्य बिन्दु, कौन से ध्यान रखने योग्य हैं?

उ. ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के दोरा व निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यता है –

- प्राथमिकता का निर्धारण –विभिन्न समूहों द्वारा किसी समस्या पर सबसे अधिक हॉ कहा गया है तो वह समस्या उनके लिए बहुत गंभीर है, अतः प्राथमिकता का निर्धारण इस आधार पर किया जा सकता हैं। जैसे– उदाहरण के लिए यदि समूह–1, समूह–2 एवं समूह–4 ने कहा की स्कूल में शिक्षक नहीं आते है तो यह समस्या सबसे गंभीर हो सकती है, क्योकि अलग–अलग समूहों में चर्चा करने पर भी यहीं समस्या उभर कर सामने आ रहीं है। इसी तरह अलग–अलग समूहों से प्राप्त ग्रिड की समस्याओं की आपस में तुलना करके समस्याओं की प्राथमिकता तय की जा सकती है।
- उपयुक्त समधान – इसी तरह किसी समस्या के समाधान पर समूहों द्वारा सबसे अधिक त्रिभुज बनाया गया है वहीं उनके लिए सबसे उपयुक्त समधान हो सकता है।
- समूह के साथ चर्चा के सहज कराने वाले ध्यान रखें कि समूह के सदस्य जो कहे उसे अच्छी तरह समझने के पश्चात ही अंतिम निशान लगाए। लोगों को ग्रिड में उल्लेखित सभी समस्या पहले पूरी तरह स्पष्ट करें, उस पर उनके साथ चर्चा कर तथा यदि कोई अन्य समस्याओं हो तो उसे भी जोड़े एवं सभी समस्याओं का विश्लेषण कर उनके संभावित समाधानों पर आयें और यदि समूह के सदस्य एक से अधिक समाधान पर जोर दे तो उन समाधानों को अंकित करे।
- तकनीकी सहायता दल को ग्राम की क्षमताये, उपलब्ध संसाधन, सुविधाओं का आंकलन करने में गांव वालों की मद्द करेगा तथा इसके अनुरूप प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया का संचालन करना होगा।
- ग्राम स्तरीय नियोजन में तकनीकि सहायता दल की भूमिका फेसिलिटेटर को होनी चाहिए।

- जो प्राथमिकता तय की जा रही है उस समस्या का समाधान अभी करना क्यों जरूरी है, समाधान न करने से किस वर्ग को और कितना नुकसान हो सकता है इसका विश्लेषण करना जरूरी है।
- समस्या निवारण में किन स्त्रोतों से संसाधन की उपलब्धता हो सकती है, इसका आंकलन करने में ग्रामीणों की मद्द करनी होगी।
- यह भी ध्यान दिया जायेगा कि चिहिन्त किये गये समाधान से गरीब उपेक्षित वर्ग तथा निराश्रित को क्या लाभ मिल सकता है।
- ग्राम विकास समिति के कार्यकर्ता समूहों से चर्चा के दौरान अलग–अलग समूहों में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण में करवा लेंगे। जो कि यह प्रदर्शित करेगा कि उक्त व्यक्ति इस प्रक्रिया में सहभागी रहें है। ये नियोजन प्रक्रिया के मूल्यांकन में भी सहायक होगा। समिति कार्यवाही विवरण अपने पास रखेगी।
- ग्रामसभा का सफल आयोजन कैसे हो?

उ. ग्राम सभा के आयेाजन के लिय सर्वप्रथम अनुकूल वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है तथा ग्राम विकास समिति के सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी होगी की वे सभी वार्डों से लोगों को ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित करे। योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को ग्राम विकास समिति अपनी तरफ से भी ग्राम सभा में आने के लिए सूचित करेगी। जिससे योजना में उनका स्वामित्व दिखाई दें।ग्राम विकास समिति एवं ग्राम स्तरीय सहयोग दल को ग्राम सभा की बैठक के एजेण्डे में ग्राम की योजना पर विचार विमर्श की बात जुडवानी होगी तथा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण ग्राम स्तरीय स्त्रोत व्यक्ति जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि ग्राम विकास समिति के सदस्यों का सहयोग करेंगे। इस प्रकार सफल आयेाजन किया जा सकता है।

- विभागीय प्लान एवं समुदाय आधारित प्लान में क्या फर्क है?

उ. विभागीय प्लान में प्रत्येक विभाग अपने लक्ष्यों के अनुरूप गतिविधियों की प्लानिंग की जाती है। जबकि समुदाय आधारित प्लान के केन्द्र बिन्दु में समुदाय होता है उसी की जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकतावार प्लानिंग की जाती है। समुदाय के प्राप्त योजना विभागों की योजना से मिलकर ही पूर्ण रूपेण जिले को योजना में परिवर्तित हो सकती है।

- ग्राम स्तर पर चिन्हित समूह कौन से होते हैं? योजना निर्माण प्रक्रिया में उनका समावेश कैसे सुनिश्चित किया जाये?

उ. अधिकांशतः देखा गया है कि ग्राम में होने वाली बैठकों, ग्राम की सामाजिक गतिविधियों तथा निर्णयों आदि में उपेक्षित वर्गो की भागीदारी नहीं हो पाती है, और ये वर्ग धीरे–धीरे हाशिए पर चले जाते है। अतः म. प्र. द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की मार्गदर्शिका के आधार पर तय किया कि ग्राम की सभी गतिविधियों में ग्राम के सभी उपेक्षित वर्गो की भागीदारी अनिवार्यतः हो। ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल, ग्राम विकास समिति की सहायता से ग्राम में चार अलग–अलग समूह तैयार करेंगे। कुल चार समूह गठित होंगे जो क्रमशः

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलायें एवं बच्चे, विकलांग एवं निराश्रित, एवं सामान्य स्थानीय नगरिकों का समूह है।

''तकनीकी सहायता दल'' को यह ध्यान में रखना होगा कि ग्राम में चारों समूह तैयार हो। यदि किसी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोग निवास निवास नहीं करतें है, तो वहां इन वर्गों के समूह का गठन नहीं किया जायेगा, लेकिन यदि ग्राम में एक–दो व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में आते है, तो उन्हे विकलांग एवं निराश्रित वर्गो के समूह में शामिल कर लिया जायेगा।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ग्राम स्तरीय समूह के क्या आशय है ?

उ.

इस समूह में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है, वही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है, अन्य जाति का व्यक्ति समूह का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिलाओं को इस समूह में जरूर शामिल किया जाए।

- 32 महिलायें एवं बच्चेके ग्राम स्तरीय समूह से क्या आशय है ?

उ.

इस समूह में महिलाएं एवं बच्चे दोनों वर्ग सम्मिलित रहेंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडे वर्ग तथा सामान्य सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। तकनीकी सहायता दल प्रयास करें कि इसमें सभी जाति वर्गो की समान सहभागिता हो।

- 33 विकलांग एवं निराश्रितसमूह में कौन हो सकते है ?

उ.

इस समूह में ऐसे महिला–पुरूष सम्मिलित रहेंगे जो विकलांग, निराश्रित, वृद्ध या सामाजिक सुरक्षा प्राप्त वर्गों में आते है। ''तकनीकी सहायता दल'' प्रयास करें की इसमें महिला–पुरूषों की समान सहभागिता हो। ऐसे लोगों के निवास पर जाकर भी चर्चा की जा सकती है।

- सामान्य नगरिकों के समूह से क्या आशय है ?

उ.

इस समूह में ऐसे महिला–पुरूष सम्मिलित रहेंगे जो कि उपरोक्त समूहों में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह कतई नही है कि इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, महिलाए या विकलांग एवं निराश्रित शामिल नहीं होंगे बल्कि इस समूह में सबके लिए समान अवसर होंगे।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन में ग्रामीण व नगरीय योजना का समेकन कैसे होगा?

उ. संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में पंचायतों एवं नगरीय निकायों की योजनाओं को जिला योजना समिति द्वारा 'समेकन' किए जाने का प्रावधान है। अन्य नियोजन इकाईयों के संबंध में भी जिला योजना समिति उनकी योजनाओं को जिला योजना में समाहित करेगी अर्थात जिला स्तर पर सभी नियोजन इकाईयों की योजनाओं को मिलाकर ही जिलें की योजना तैयार की जायेगी।

- समेकन के समय ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु कौन करने से है ?

- कार्य योजनाओं में दोहरेपन को खत्म करना : ग्रामसभा/वार्डों की कार्ययोजना को ग्रम पंचायत/नगरीय निकाय के स्तर पर समेकन के लिए देखा जाये कि कहीं अलग–अलग कार्ययोजना में एक ही काम को प्रस्तावित न किया गया हो जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली दोनों ही ग्राम सभाओं की कार्ययोजना में हाई स्कूल का प्रस्ताव होना। यहां समेकन के समय
- यह तय करना आवश्यक होगा कि किस ग्राम में हाई स्कूल प्रस्तावित किया जाये ताकि दोहरेपन को खत्म कर संसाधन का उचित उपयोग हो।
- गतिविधि संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित करना : वर्तमान परिपेक्ष्य में विकास के लिए अधोसरचना निर्माण एवं हितग्राही चयन के लिए अलग–अलग योजनाओं, कार्यक्रम, विभाग इत्यादि के मानक/मापदण्ड है। जिसके आधार पर ही विभिन्न गतिविधियों को कार्य योजना में समाहित किया जायेगा। जैसे – 5000 की जनसंख्या पर उपस्वास्थ्य केन्द्र, 30,000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि।
- जिन मानकों में एक से अधिक गांव को देखा जाता है उन्हें सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समेकन के समय देखें और जिन मानकों में एक से अधिक ग्राम पंचायत हो उन्हें जनपद पंचायत के समेकन के समय ध्यान दिया जाना चाहिये। इसी तरह जनपदों के दोहरेपन को खत्म करने के लिए जिला पंचायत के समेकन के समय ध्यान दिया जाना चाहिये। नगरीय निकायों के संबंध में भी इसी तरह नीचे से समेकन करते समय मानकों को ध्यान में रखा जाये।
- किये जा सकने वाली गतिविधियों का प्राथमिकीकरण :– समेकन के समय यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि कार्य योजना में उन्हीं गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें किया जाना संभव है। यह देखा गया है कि कई बार आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा सपनों को साकार करने के प्रयास में आवश्यकताओं को कार्य योजना में शामिल नहीं किया जाता।
- उपयुक्त योजनाओं से गतिविधियों को जोड़ना :– समेकन के समय एक महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित गतिविधियों को उपयुक्त योजनाओं से जोड़ा जाना है। इसके लिए वर्तमान में चल रही विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों एवं इनमें किस तरह की गतिविधियों/कार्यो को लिया जा सकता है को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक ही प्रकार की गतिविधि के लिए हो सकता है दो या उससे अधिक योजना/कार्यक्रम में वित्त संसाधन उपलब्ध हो। यहां संसाधन के उपयुक्त उपयोग को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

- जिला योजना समिति को जानकारी भेजने का प्रपत्रों के एक भी कॉलम न कम करे ना जोड़े न ही इनके क्रम को बदले। प्रपत्र–1 की प्रिंट कॉपी के साथ प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 की कम्पयूटरीकृत डाटाशीट जिला योजना समितियों को अवश्य भेजे, जिससे जिला योजना समितियां अलग–अलग नियोजन इकाईयों की प्रस्तावित योजनाओं को आसानी से देख सके तथा इनका समेकन कर सके।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया में क्षेत्रकवार विभागों को कैसे लिया जा सकता है?

उ. विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रकिया में क्षेत्रकवार विभागों को निम्न तरीके से लिया जा सकता है :–

क्षेत्रक	विभाग
शिक्षा	स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा
स्वास्थ्य तथा पोषण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवम् बाल विकास, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति
आजीविका	कृषि उद्यानिकी, वन, पंचायत एवम् ग्रामीण विकास, पशुपालन एवम् डेयरी, ग्रामोद्योग, उद्योग, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, मत्स्य पालन, हथकरघा, सहकारिता, रेशम, योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग

अधोसंरचना प्रबंधन	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, योजना
उर्जा, ईधन तथा वैकल्पिक उर्जा	ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वन, योजना
नागरिक अधिकार संरक्षण	भू–सुधार, सामाजिक न्याय श्रम, महिला एवम् बाल विकास, राजस्व

- विकास के सहस्त्राब्दि लक्ष्य कौन से है, एवं इनकी तुलना में प्रदेश की स्थिति क्या है ?

उ. विकास के सहस्त्राब्दि के क्रय में राष्ट्रीय विकास लक्ष्य एवं म.प्र. की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र	सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्यप्रदेश की स्थिति
1	गरीबी एवं भुखमरी को खत्म करना– 50 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन–यापन करने वाले लोगो की संख्या को आधा किया जाये।	गरीबी के अनुपात को 2007 तक 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत कम करना।	प्रदेश में 38.3 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है। जबकि देश में यह आंकड़ा 27.5 प्रतिशत है। राज्य में प्रति व्यक्ति खाने पर औसतन 128.60 रुपए प्रतिमाह खर्च होता है। राज्य में 3 वर्ष तक की आयु के 60.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो कि गरीबी का लक्षण है।
2	यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक स्तर पर सभी बालक–बालिकाएं अभी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर सके।	2005 तक सभी बच्चों का शाला में नामांकन एवं यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चे कम से कम 5 साल की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करे।	वर्ष 2006 में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अनुपात 1:48 है। प्रदेश के 46.89 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। राज्य में 32 प्रतिशत स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक उपलब्ध हैं। वहीं 33.75 प्रतिशत स्कूलों में महिला शिक्षिका नहीं है। 6 प्रतिशत बच्चों का प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल में पंजीयन तक नही हो पाता। प्राथमिक स्कूलों में पंजीकृत 85 प्रतिशत बालिकायें सेकेण्ड्री स्कूल तक नही पहुंच पाती। 34 प्रतिशत स्कूल पक्के नहीं हैं और 9.39 प्रतिशत स्कूल एक ही कक्ष में लग रहे हैं। प्राथमिक पर एवं प्राथमिक स्तर से ऊपर 20 प्रतिशत बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या कहीं अधिक है।
3	लैंगिक समानता व महिला	2007 तक साक्षरता व	9 वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 36.54 प्रतिशत बालिकाओं का ही पंजीकरण हो

क्र	सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्यप्रदेश की स्थिति
	सशक्तिकरण को बढ़ावा देना–लैंगिक असमानता की वरीयता स्तर पर 2005 तक समाप्ति तथा हर स्तर पर 2015 तक पूर्ण समाप्ति।	मजदूरी में लैंगिक असमानता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम किया जाये।	सका (30 सितम्बर 2005 तक)। कुल 38.16 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं। राज्य में 33.34 प्रतिशत शालाओं में महिला शिक्षक नहीं है। राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में से एक में भी महिला कुलपति नहीं है।
4	बाल मृत्युदर कम करना– 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई (यदि 100 है, तो 33 पर लाना) कम करना।	शिशु मृत्यु दर को 2007 तक प्रति एक हजार में 45 एवं वर्ष 2012 तक 28 किया जाए।	नवजात शिशु की मृत्यु दर एक हजार पर 72 है। 2 वर्ष तक के 22.4 प्रतिशत बच्चों को ही सभी बीमारियों से बचाव के टीके लग पाते हैं। म.प्र. में 69,238 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से 49206 ही कार्यशील हैं म.प्र. में प्रत्येक 5 मिनट में 1 बच्चे की मृत्यु होती है। म.प्र. में 0 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 37 प्रतिशत बच्चे भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। कुपोषितों का 54 प्रतिशत से बढ़कर 60.3 प्रतिशत हो गया है।
5	मातृत्व स्वास्थ्य सुधार – मातृत्व मृत्यु दर को 75 प्रतिशत (यदि 100 है तो 25 करना) कम करना	2007 तक प्रति एक हजार जचकी में मातृत्व मृत्यु दर को 2 तक एवं 2012 तक एक करना।	मातृ मृत्यु दर 379/100000 है। राज्य में लगभग प्रतिवर्ष 7000 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान होती है। संस्थागत प्रसव – 29.7 प्रतिशत (एन. एफ.एच.एस) गरीब परिवारों में केवल 17 प्रतिशत परिवारों को ही डॉ. या प्रशिक्षित स्वास्थ्य सुविधादाता की सुविधा प्राप्त होती है। ग्रामीण अस्पतालों में कुल 9300 पलंग उपलब्ध हैं अतः 5.6 गांवों पर 1 बिस्तर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति की 70.3 प्रतिशत महिलायें एनीमिक हैं।
6.	एच.आईवी./एड्स मलेरिया तथा अन्य खतरनाक बीमारी के खिलाफ संघर्ष इनके लक्षणों को पता करना तथा कम करने का प्रयास करना।	अत्याधिक खतरनाक बीमारी वाले समूहों का लक्ष्य कर हस्तक्षेप द्वारा 80 प्रतिशत कवरेज। 90 प्रतिशत स्कूलों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का शिक्षित करना ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत	60 प्रतिशत से अधिक आबादी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में निवास करती है विशेषकर आदिवासी जिलों में। देश के कुल मलेरिया केसों में से 24 प्रतिशत केस मध्यप्रदेश में होते हैं जबकि देश में मलेरिया से होने वाली कुल मृत्यु में से 20 प्रतिशत मृत्यु मध्यप्रदेश में होती है। म.प्र. में ग्रामीण परिवारों में से 90.4 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय

क्र	सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य	राष्ट्रीय विकास लक्ष्य	मध्यप्रदेश की स्थिति
		सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ना। रक्त के संरचण द्वारा होने वाली बीमारियों को कम से कम एक स्वैच्छिक प्रशिक्षण एंव सूचना केन्द्र स्थापित करना। सन् 2007 तक एचआईव्ही/एड्स की बढ़ोत्तरी 8 स्तर प्री–वैल्यू तक जाना।	सुविधा उपलब्ध नहीं है। म.प्र. के एच.आई.वी प्रभावितों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमे से 72 प्रतिशत पुरूष एवं 28 प्रतिशत महिलायें हैं। 85 व्यक्ति/100 हजार टी.बी. से प्रभावित है।
7	पर्यावरण संतुलन – देश में टिकाऊ विकास के लिये पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में स्वस्थ्य शुद्ध जल न पीने वालों की संख्या को घटाकर आधी करना। 2020 तक करीब 10 करोड़ झुग्गी–झोपड़ी वासियों के जीवन स्तर में सुधार करना।	देश में जंगलों तथा वृक्षों की संख्या 2007 तक 12 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत करना। 2007 तक शहर की बड़ी प्रदूषित नदियों को साफ करना तथा अन्य को 2012 तक साफ करना।	राज्य में लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना और सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के परिणाम उत्साह जनक नहीं है। म.प्र. शासन 156,35 करोड़ राशि को कम कर रहा है। राज्य के 22 जिलों में भूमिगत जल का स्तर 2 से 4 मीटर नीचे पहुॅच गया है। राज्य में 30.71 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं लेकिन करीब 70 प्रतिशत बिगड़े वन हैं।

- विकेन्द्रीकृत नियोजन में SWOT का क्या अर्थ होता है? इसका महत्व समझाइये?

उ. दृष्टि निर्माण के परिपेक्ष्य में पिछड़ेपन के पहचान का बिन्दु ही काफी नहीं है बल्कि यह विश्लेषण करना भी जरूरी है कि पिछड़ेपन को दूर करने के दृष्टिकोण से जिले के भीतर कौन से अवसर उपलब्ध है तथा किस प्रकार के खतरे सामने आ सकते है। इसके अतिरिक्त संस्थागत रूप से जिले की क्या ताकत है तथा किस प्रकार की कमजोरियां है, इसे भी आंकलित करना जरूरी है।

अवसर और खतरों की पहचान बाह्य वातावरण में की जाती है तथा ताकत एवं कमज़ोरियों को अपने भीतर देखा जाता है। उदहारण के लिए जिले के मुख्य पिछड़ेपन यानि महिलाओं एवं बाल कल्याण की पिछड़ी स्थिति को दूर करने के परिपेक्ष्य में यह विश्लेषण करना होगा की जिले में ऐसे कौन–कौन से अवसर उपलब्ध है जो इस पिछड़ेपन को दूर करने में मद्द करेंगे साथ ही यह भी देखना होगा कि इस दिशा में कौन–कौन सी चुनौतियां/खतरे सामने खड़े है। विश्लेषण से अवसर एवं खतरों के निम्न बिन्दु निकलकर सामने आ सकते है–

उपलब्ध अवसर –

- जिले में वर्तमान में एक साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इत्यादि की उपलब्धता

- मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था
- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली/11वी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महिला भागिदारी को सुनिश्चित करने की व्यवस्था इत्यादि

चुनौतियां/खतरे

- सामाजिक एवं पारम्परिक तौर पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की कम भागीदारी तथा लगातार घटता स्त्री पुरूष अनुपात।
- जिले में मौसमी पलायन की अधिकता
- समाज में बालिका शिक्षा को महत्वहीन समझना इत्यादि

जिले में अवसर एवं खतरों के विश्लेषण में यह देखना होगा कि किन अवसरों का उपयोग करके किन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है ताकि पिछड़ेपन को प्रभावित करने वाले कारकों का निदान किया जा सके।

इसी प्रकार जिले के संस्थागत व्यवस्था के भीतर की ताकतों एवं कमज़ोरियों का विश्लेषण किया जायेगा क्योंकि अपनी ताकत से ही हम उपलब्ध अवसरों का फायदा उठा सकते है तथा चुनौतियों का सामना कर सकते है। अन्यथा हमारी कमज़ोरियां हमारी चुनौतियों को और जटिल बना देंगी। जिले की ताकत एवं कमज़ोरियां निम्न रूप से सामने आ सकती है–

ज़िले की ताकत

- जिले में प्रबल महिला स्वयं सहायता समूह/संगठनों की उपलब्धता
- गांव–गांव तक महिला एवं बाल विकास विभाग का फैला तंत्र तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन
- शिक्षा संबंधित अधोसंरचना की मजबूत व्यवस्था इत्यादि

जिले की कमज़ोरी

- संबंधित विभागों में आपसी समन्वय एवं रणनीतियों में एकरूपता का अभाव
- नियोजन पर समुचित ध्यान न दिया जाना
- प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अभाव

निम्नलिखित फ्रेमवक्र का उपयोग कर जिले के अंदर ताकत–कमजोरी एवं अवसर–चुनौतियो का विश्लेषण किया जा सकता है–

	ताकत	कमजोरी
अवसर	1. जिन ताकतों से हम अवसरों का लाभ उठा सकते है	2. जिन कमजोरियों की वजह से हम अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे है।
खतरे/चुनौतियां	3. जिन ताकतों से हम खतरों का सामना कर सकते है।	4. जो कमज़ोरियां हमारे खतरों को और बढ़ा सकती है।

इस फ्रेमवक्र में अपनी ताकत–कमज़ोरियों तथा वातावरण के अवसरों–खतरों को डालकर यह विश्लेषण किया जा सकता है कि किस तरह के विजन निर्माण की आवश्यकता है जिसे आगामी 5 वर्षों में सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके।